



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक / 33 सी

दिनांक

/ 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

मुनिकीरेती।

विषय -

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल घण्डियालधार (मयाली) जूनीयर हाईस्कूल डाण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.400 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/41397/2019)

सन्दर्भ -

आपका पत्रांक 1616/12-1 दिनांक 14.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी०/यू०सी०पी०/०६/113/2020/एफ०सी०/1818 दिनांक 26.11.2021 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र में वर्णित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या चार-चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

- शर्त सं० 1 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 2 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(क) :- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 2.800 हे० ग्राम भैंसकोट खसरा सं० 19 एवं 26 सिविल सोयम वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 9,44,115.00 की धनराशि ऑनलाइन चालान द्वारा दि० 18.05.2021 को जमा कर दी गई है। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा (चालान की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(ख) :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश सं० 62/XI-17/2020-21 दिनांक 22.11.2021 को हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(ग) :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिस हेतु वन मंडल अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 4 :- के अनुपालन में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रू० 9,19,800.00 दिनांक 18.05.2021 को ऑन लाईन जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति एवं प्रमाण-पत्र संलग्न है)।
- शर्त सं० 4(ख) :- के अनुपालन में यदि एन०पी०वी० की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बड़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 5 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार 32 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। तथा इस कार्यालय द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 6 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है (चालान की प्रति संलग्न)।
- शर्त सं० 7 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 8 :- के अनुपालन में एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा (प्रमाण-पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 9 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार पर सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों-बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 10 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविधियमन साईनेज लगाये जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

- शर्त सं0 11 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- शर्त सं0 12 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की बिना पूर्वानुमति के ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 13 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 14 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्य वनविभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे कि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 15 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्राक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार कराकर प्राक्कलनानुसार धनराशि प्रमागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वनप्रभाग के पक्ष में जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 16 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- शर्त सं0 17 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 18 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 19 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 20 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्तें लागू की जाती हैं उसका पालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 21 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 22 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते हैं तो उनकी जरूरी अनुमति ली जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 23 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी।
- संलग्न - उपरोक्तानुसार पांच-पांच प्रतियों में।

पत्रांक 1668/33 सी

(इं0 डी0पी0 आर्य)

अधिशायी अभियन्ता

अ0ख0, लोक निर्माण विभाग

श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर

दिनांक 10/12/2021

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (देवप्रयाग) अ0ख0 लो0नि0वि0 कीर्तिनगर को इस आशय से प्रेषित कि नामान्तरण/हस्तान्तरण आख्या प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें। प्रतिलिपि राजि अधिकारी कीर्तिनगर राजि डांगचौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता

अ0ख0, लोक निर्माण विभाग

श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर